

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 127-2018/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JULY 27, 2018 (SRAVANA 5, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 जुलाई, 2018

संख्या 64/जीएसटी—2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 11 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी—2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47 / एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,-

- (i) सारणी में-
 - (क) क्रम संख्या 4 के सामने, खाना (3) में, प्रविष्टि में, "केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, स्थानीय प्राधिकरण या" का लोप किया जाएगा;
 - (ख) क्रम संख्या 5 के सामने, खाना (3) में, प्रविष्टि में, "केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या" शब्दों का लोप किया जाएगा;
 - (ग) क्रम संख्या ९ग और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्ः —

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9घ	अध्याय 99	केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12कक के अंतर्गत पंजीकृत किसी संस्था द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रम द्वारा सेवाओं में इसके निवासियों को (साठ वर्ष या अधिक) को प्रति सदस्य प्रति माह पच्चीस हजार रूपए तक प्रतिफल, परंतु प्रभारित प्रतिफल में बोर्डिंग, लॉजिंग और रखरखाव के लिए प्रभार सम्मिलित है।	कुछ नहीं	कुछ नहीं ";

(घ) क्रम संख्या 10 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियों रखी जाएंगी, अर्थात्ः —

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"10क	शीर्ष 9954	कृषि उपयोग हेतु किसान या कृषिविद के ट्यूब वेल तक बिजली वितरण नेटवर्क को विस्तारित किए जाने हेतु निर्माण, परिनिर्माण, कमीशनिंग, या बुनियादी ढांचे की स्थापना के द्वारा बिजली वितरण कंपनियों द्वारा प्रदाय की जाने वाली सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं ";

- (ङ) क्रम संख्या 14 के सामने, खाना (3) में प्रविष्टि में, "घोषित टैरिफ" शब्दों के स्थान पर, "प्रदाय मूल्य" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (च) क्रम संख्या 19क के सामने, खाना (5) में, प्रविष्टि में, "2018" अंकों के स्थान पर, "2019" अंक को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
- (छ) क्रम संख्या 19ख के सामने, खाना (5) में, प्रविष्टि में, "2018" अंकों के स्थान पर, "2019" अंक को प्रतिस्थापित किया जाएगा :
- (ज) क्रम संख्या 24 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियों रखी जाएंगी, अर्थातः —

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24क	शीर्ष 9967 या शीर्ष 9985	लघु वन उत्पादन के भण्डारण के माध्यम से सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(झ) क्रम संख्या 31 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्ः —

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"31क	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 46) द्वारा शासित व्यक्तियों को कोयला खान भविष्य निधि संगठन द्वारा सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";
31ख	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	प्रशासनिक शुल्क के रूप में विचारण के प्रति अपने सदस्यों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) द्वारा सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ञ) क्रम संख्या ३४ और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्ः —

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"34क	शीर्ष 9971	केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र द्वारा उनके उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को, ऐसे उपक्रमों या पीएसयू द्वारा वित्तीय संस्थानों से उठाए गए ऋणों की गारंटी के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

- (ट) क्रम संख्या 36क के सामने, खाना (3) में प्रविष्टि में, "36" अंकों के पश्चात्, "या 40" शब्द और अंक रखे जाएंगे;
- (ठ) क्रम संख्या ४७ और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्ः —

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"47क	शीर्ष 9983 या शीर्ष 9991	खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा खाद्य व्यापार संचालकों को लाइसेंसिंग, पंजीकरण और खाद्य नमूनों की विश्लेषण या परीक्षण के माध्यम से सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ड) क्रम संख्या 55 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियों रखी जाएंगी, अर्थात्ः —

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"55क	शीर्ष 9986	पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान (घोड़ों से भिन्न) के माध्यम से सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ढ) क्रम संख्या 65क और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियों रखी जाएंगी, अर्थात्ः —

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"65ख	शीर्ष 9991 या कोई अन्य शीर्ष	अधिक रॉयल्टी संग्रह ठेकेदार (ईआरसीसी) को किसी राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा धारकों से रॉयल्टी एकत्र किए जाने का अधिकार सौंपने के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं । व्याख्या— "खनन पट्टा धारकों" से अभिप्राय हैं, ऐसे व्यक्ति जिसे खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) या उसके अधीन बनाए नियमों या राज्य सरकार द्वारा खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 15(1) के अधीन बनाये गए नियमों के अधीन खनन पट्टा, खदान पट्टा या लाइसेंस या अन्य खनिज रियायत दी गई है ।	शून्य	बशर्तें कि ठेका अवधि की समाप्ति पर, ईआरसीसी राज्य सरकार को एक खाता प्रस्तुत करेगा और प्रमाणित करेगा कि रॉयल्टी पर पट्टा—धारियों द्वारा जमा की गई माल और सेवा कर की राशि रॉयल्टी एकत्र किए जाने के अधिकार के समनुदेशन की सेवा पर छूट दी गई माल और सेवा कर से अधिक है और जहां खनन पट्टा—धारियों द्वारा भुगतान की गई माल और सेवा कर की ऐसी राशि छूट दी गई राशि से कम है, तो छूट ऐसी धनराशि तक सीमित होगी जो खनन पट्टाधारकों द्वारा भुगतान की गई माल और सेवा कर की राशि के बराबर हो और माल और सेवा कर रॉयल्टी पर खनन पट्टाधारकों द्वारा भुगतान की गई माल और सेवा कर और रॉयल्टी एकत्रीकरण—अधिकार के समनुदेशन की सेवा पर दी गई माल और सेवा कर छूट के बीच अंतर का ईआरसीसी द्वारा भुगतान किया जाएगा।"

(ण) क्रम संख्या 77 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्ः —

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"77क	शीर्ष 9995	निम्नलिखित में लगे हुए, उस समय लागू किसी विधि के अधीन पंजीकृत अनिगमित निकाय या गैर—लाभकारी संस्था द्वारा प्रदत्त सेवाएं,— (i) औद्योगिक या कृषि श्रमिक या किसान के कल्याण से संबंधित गितविधियां; या (ii) व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कृषि, कला, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, खेल, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, धर्मार्थ गतिविधियों और पर्यावरण की सुरक्षा का प्रोन्नयन, प्रति वर्ष प्रति सदस्य एक हजार रुपये (1000 / —रूपये) की राशि तक सदस्यता शुल्क के रूप में प्रतिफल के लिए अपने सदस्यों हेतु।	कुछ नहीं	कुछ नहीं'';

⁽ii) पैराग्राफ 3 में, व्याख्या में, खण्ड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(iv) शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि केन्द्रीय तथा राज्य शैक्षणिक बोर्डों को, छात्रों की परीक्षा आयोजित किए जाने के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के सीमित उद्देश्य हेतु शैक्षिक संस्थान के रूप में माना जाएगा ।"।

> संजीव कौशल, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 27th July, 2018

No. 64/GST-2.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 47/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 47/ST-2, dated the 30th June, 2017, -

- (i) In the Table, -
 - (a) against serial number 4, in the entry in column (3), the words "Central Government, State Government, Union territory, local authority or" shall be omitted;
 - (b) against serial number 5, in the entry in column (3), the words "Central Government, State Government, Union territory, local authority or" shall be omitted;
 - (c) after serial number 9C and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9D	Chapter 99	Services by an old age home run by Central Government, State Government or by an entity registered under section 12AA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to its residents (aged 60 years or more) against consideration upto twenty five thousand rupees per month per member provided that the consideration charged is inclusive of charges for boarding, lodging and maintenance.	Nil	Nil";

(d) after serial number 10 and the entries thereagainst, the following serial number and entries hereagainst shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"10A	Heading 9954	Services supplied by electricity distribution utilities by way of construction, erection, commissioning, or installation of infrastructure for extending electricity distribution network upto the tube well of the farmer or agriculturalist for agricultural use.	Nil	Nil";

- (e) against serial number 14, in the entry in column (3), for the words "declared tariff", the words "value of supply" shall be substituted;
- (f) against serial number 19A, in the entry in column (5), for the figures "2018", the figures "2019" shall be substituted;
- (g) against serial number 19B, in the entry in column (5), for the figures "2018", the figures "2019" shall be substituted;

(h) after serial number 24 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24A	Heading 9967 or Heading 9985	Services by way of warehousing of minor forest produce.	Nil	Nil";

(i) after serial number 31 and the entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"31A	Heading 9971 or Heading 9991	Services by Coal Mines Provident Fund Organization to persons governed by the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948).	Nil	Nil
31B	Heading 9971 or Heading 9991	Services by National Pension System (NPS) Trust to its members against consideration in the form of administrative fee.	Nil	Nil";

(j) after serial number 34 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"34A	Heading 9971	Services supplied by Central Government, State Government, Union territory to their undertakings or Public Sector Undertakings(PSUs) by way of guaranteeing the loans taken by such undertakings or PSUs from the financial institutions.	Nil	Nil";

- (k) against serial number 36A, in the entry in column (3), after the figures "36" the word and figures "or 40" shall be inserted;
- (l) after serial number 47 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"47A	Heading 9983 or Heading 9991	Services by way of licensing, registration and analysis or testing of food samples supplied by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) to Food Business Operators.	Nil	Nil";

(m) after serial number 55 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"55A	Heading 9986	Services by way of artificial insemination of livestock (other than horses).	Nil	Nil";

(n) after serial number 65A and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"65B	Heading 9991 or any other Heading	Services supplied by a State Government to Excess Royalty Collection Contractor (ERCC) by way of assigning the right to collect royalty on behalf of the State Government on the mineral dispatched by the mining lease holders.	Nil	Provided that at the end of the contract period, ERCC shall submit an account to the State Government and certify that the amount of goods and services tax deposited by mining lease

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Explanation "mining lease holder" means a person who has been granted mining lease, quarry lease or license or other mineral concession under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the rules made thereunder or the rules made by a State Government under sub-section (1) of section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.		holders on royalty is more than the goods and services tax exempted on the service provided by State Government to the ERCC of assignment of right to collect royalty and where such amount of goods and services tax paid by mining lease holders is less than the amount of goods and services tax exempted, the exemption shall be restricted to such amount as is equal to the amount of goods and services tax paid by the mining lease holders and the ERCC shall pay the difference between goods and services tax exempted on the service provided by State Government to the ERCC of assignment of right to collect royalty and goods and services tax paid by the mining lease holders on royalty.";

(o) after serial number 77 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"77A	Heading 9995	Services provided by an unincorporated body or a non-profit entity registered under any law for the time being in force, engaged in,-	Nil	Nil";
		(i) activities relating to the welfare of industrial or agricultural labour or farmers; or		
		 (ii) promotion of trade, commerce, industry, agriculture, art, science, literature, culture, sports, education, social welfare, charitable activities and protection of environment, 		
		to its own members against consideration in the form of membership fee upto an amount of one thousand rupees (Rs 1000/-) per member per year.		

- (ii) in paragraph 3, in the Explanation, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:-
- (iii) "(iv) For removal of doubts, it is clarified that the Central and State Educational Boards shall be treated as Educational Institution for the limited purpose of providing services by way of conduct of examination to the students.".

SANJEEV KAUSHAL, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.